


 आज़ादी का
 अमृत महोत्सव
 दूरभाष सं० (0141)2236840
 फ़ैक्स सं० (0141)2236891
 Website:- www.surveyofindia.gov.in
 Email:- raj.gdc.soi@gov.in
 GSTIN-08JPRS00587G1DV



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
 Survey of India



राजस्थान भू-स्थानिक निदेशालय
 RAJASTHAN GEO-SPATIAL DIRECTORATE
 ग्रेट आर्क भवन-II, सेक्टर-10
 GREAT ARC BHAWAN-II, SECTOR-10
 विद्याधर नगर, जयपुर - 302039
 VIDYADHAR NAGAR, JAIPUR - 302039

नेमी आदेश संख्या ई.1-12/37-जी-9/आर.जी.डी. जयपुर दिनांक 10-12-2024

ROUTINE ORDER NO.E.1- 12 /37-G-9/R.G.D JAIPUR DATE 10-12-2024

(1) सरकारी सेवा में बने रहने की स्वीकृति / RETENTION IN GOVT. SERVICE:-

इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारियों का उनके द्वारा 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अपर महासर्वेक्षक पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर कार्यालय में गठित विशेष पुनरीक्षण समिति के द्वारा सरकारी सेवा में बने रहने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- श्री जसवीर सिंह सेलोपाल, सर्वेक्षक
- श्री सन्तोष कुमार शर्मा, सर्वेक्षक

Authority:- Addl. SG, W.Z Jaipur Letter NO-C- 177/18-A -5 (ए)स्पेशल/प.क्ष दिनांक-02-08-2024.

(2) स्थानान्तरण अन्दर / Transfer In,

क्रमांक संख्या	नाम व पदनाम सर्व श्री	कार्यालय जहाँ से स्थानान्तरित होकर आए	दिनांक	प्राधिकार
1.	श्री रामजी लाल जाट, एम.टी.एस	निदेशक, उत्तराखण्ड जी.डी, देहरादून	16.10.2024	भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक सं.था03-384 / 1095-स्थानान्तरण दिनांक 14.10.2024

(3) स्थानान्तरण बाहर / Transfer out,

क्रमांक संख्या	नाम व पदनाम सर्व श्री	कार्यालय जहाँ से स्थानान्तरित होकर गए	दिनांक	प्राधिकार
1.	श्री ओम प्रकाश जोशी, एम.टी.एस	निदेशक, G&RB देहरादून	25.10.2024	भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक सं.था03-383 / 1095-स्थानान्तरण दिनांक 14.10.2024

(4) सेवानिवृत्ति / RETIREMENT:-

इस कार्यालय के श्री सुरेश कुमार, मुख्य मानचित्रकार, Chief Draftsman दिनांक-30-11-2024 को अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्त हुए।

(एम.सी.गौड़)
 निदेशक, आर0जी0डी0
 भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जयपुर.

प्रतिलिपि:

- भारत के महासर्वेक्षक देहरादून को सुचनार्थ।
- अपर महासर्वेक्षक पश्चिमी क्षेत्र जयपुर को सुचनार्थ।
- क्षेत्रीय वेतन एवं लेखाधिकारी जयपुर को सुचनार्थ।
- स्थापना एवं लेखाधिकारी जयपुर को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- कार्यालय अधीक्षक, लेखा, एवं स्था.ई-1/ई-2 को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।